(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 117 **नई दिल्ली** 6 जुलाई 2005

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा, 'आयरन ओर फाइन' के प्रहस्तन हेतु धूल-दबाने की मद में अतिरिक्त प्रभार के अनुमोदन के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी /22/2005 -एनएमपीटी</u>

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) **आवेदक**

<u>आदेश</u>

(जुलाई 2005 के 22 वें दिन पारित)

यह प्रकरण 'आयरन ओर फाइन' के प्रहस्तन हेतु धूल दबाने की मद में अतिरिक्त प्रभार के अनुमोदन के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. एनएमपीटी से प्राप्त किए गए प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और अंगीकृत सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस पर कार्रवाई की गई ।

2.2. उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रतिपूरक सूचना के रूप में एनएमपीटी को भेजा गया है । इस संबंध में एनएमपीटी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।

3.1. जब इस प्रकरण को संयुक्त सुनवाई के लिए लिया जाना था, एनएमपीटी ने अपना प्रस्ताव वापिस लेने का और शीघ्र ही दाखिल किए जाने वाले सामान्य संशोधन प्रस्ताव में सम्मिलित करने का निर्णय किया ।

3.2. तत्पश्चात, एनएमपीटी ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था । चूंकि यह प्रशुल्क मार्ग दर्शियों के अनुरूप नहीं पाया गया था, एनएमपीटी को अपना प्रस्ताव फिर से तैयार करने की सलाह देता है । अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, एनएमपीटी ने, कोयला और अयस्कों के प्रहस्तन हेतु पानी छिड़कने और पानी से भिगोने संबंधी प्रभार के रूप में एक नयी प्रशुल्क मद सम्मिलित की है ।

4. चूंकि यह प्रस्ताव सामान्य संशोधन प्रस्ताव का भाग है, इस प्रकरण पर अलग से कार्रवाई करना आवश्यक नहीं पाया गया है ।

5. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण इस प्रकरण को वापिस लिया गया मानकर बंद करता है ।

(अ.ल.बोंगिरवार)
अध्यक्ष